UPBJ010048072026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।**

**पीठासीन अधिकारी–(संजय कुमार VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP.1997**

**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1647/2026**

**मौहम्मद शहरान बनाम सरकार**

**दिनांकः–04–06–2026** **<u>आदेश</u>**

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त **मौहम्मद शहरान** पुत्र फुरसाद निवासी सब्दलपुर तेली थाना चान्दपुर बिजनौर जिला बिजनौर की ओर से मु0अप0सं0–237/2026, धारा 109(1),191(2),190,115(2),117(2),126(2),352,351(2) बी0एन0एस0 थाना चान्दपुर जिला बिजनौर के मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मामले में रंजिश की बिनाह पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष हैं, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जो भी साक्षी हैं, वह मुकदमा हितबद्ध हैं तथा प्रार्थी ने किसी भी प्रकार की कोई संगीन वारदात को अंजाम नहीं दिया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जो भी साक्षी हैं वह मुकदमा हितबद्ध साक्षी हैं। प्रार्थी/ अभियुक्त गवाहों को टैम्पर नहीं करेगा। अभियुक्त को किसी भी प्रकार का हॉनि पहुॅचाने का ना तो कोई उद्देश्य था और ना ही कोई इन्टेंशन था। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सजा नहीं हुई है। अतः प्रार्थी को द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

एफ0आई0आर0 के अनुसार, वादी नासिर द्वारा थाने पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी का लड़का अनस ग्राम बीरोपुर कैमिकल फैक्ट्री में बल्डिंग का काम कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक माह पूर्व ग्राम चुचैला थाना धनौरा मण्डी निवासी आसिफ ने प्रार्थी के लड़के अनस के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी प्रार्थी ने आसिफ के खिलाफ एक शिकायती पत्र थाना चान्दपुर में देकर कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगायी थी। कुछ समय के बाद गॉव के जिम्मेदार व्यक्तियों ने प्रार्थी के लड़के अनस व आसिफ का समझौतानामा करा दिया था। दिनॉक 25–04–2026 को दोपहर

लगभग 01:00 बजे प्रार्थी का लड़का अनस कैमिकल फैक्ट्री से अपने घर को वापस आ रहा था, जैसे ही लड़का अनस फैक्ट्री से कुछ दूरी पर पहुॅचा तभी आसिफ व सेहरान व तीन अज्ञात व्यक्तियों ने अपने हाथों में लाठी डन्डे लेकर प्रार्थी के लड़के अनस का रास्ता रोक लिया और अनस को रोककर बिना वजह मॉ बहन की गन्दी गन्दी गालियॉ देने लगे। प्रार्थी के लड़के अनस ने गाली देने को मना किया तो इन लोगों ने वादी के लड़के अनस के सिर के बाल पकड़कर व नीचे जमीन पर गिराकर लात घुंसों व डन्डों से बुरी तरह मारपीट करने लगे। अनस के शोर पर फैक्ट्री के कुछ लोगों की भीड़ को आता देख ये लोग प्रार्थी के लड़के को आईन्दा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी देते हुये वहॉ से भाग गये। जाते समय आसिफ ने प्रार्थी के लड़के अनस के सिर में डन्डे से प्रहार कर दिया, जिससे सिर में खुली चोट आयी।

इस प्रकार अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्त व तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी के पुत्र को संगठित होकर जान से मारने के आशय से लाठी डन्डों से मारपीट करके चोटें पहुॅचाने का आरोप है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। केस डायरी के साथ संलग्न चुटैल अनस की मैडिकल रिपोर्ट में चोट नं0 1 लैसीरेटैड बुंड 6.5 सेमी0 गुना 0.8 सेमी0 गुना बोनडीप माथे पर, चोट नं0 2 लैसीरेटैड बुंड 2.0 सेमी0 गुना 0.5 सेमी0 गुना मसलडीप आंख के पास व चोट नं0 3, 4, 5 व 6 हाथा व पैर पर सूजन, नीलगू निशान व खरोंच होना दर्शित हैं, चुटैल की चोट नं0 1, 3 व 6 को निगरानी में रखा गया तथा एक्सरे रिपोर्ट में चुटैल अनस के सिर व हाथ में फ्रैक्चर होना दर्शित है। सप्लीमैन्ट्री रिपोर्ट में चुटैल अनस की चोट नं0 1 व 6 को डाक्टर द्वारा गम्भीर प्रकृति की चोट होना बताया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है। कथित अपराध प्रथम दृष्टया गम्भीर प्रकृति का होना परीलक्षित होता है। अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

तद्नुसार अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

**(संजय कुमार VII)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**बिजनौर।**
**04–06–2026**

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.04 16:27:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court